न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 10/2022

निर्णय दिनांक :–21.04.2025

राजाराम जाट पुत्र रतन लाल जाट जाति जाट आयु 44 वर्ष निवासी जाट मोहल्ला, सांखना, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान ।

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी हाल नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

आवेदन अ0 धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर– 261/9 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 262/9 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 265/161 रकबा 0.59 हेक्टेयर, खासरा नम्बर– 266/168 रकबा 0.87 हेक्टेयर, खसरा नम्बर–268/172 रकबा 1.08 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2. 92 हेक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार क्षेत्र इन्दोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुवाकलां, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है, वर्णित भूमि मे आवेदक का मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/2 हिस्सा है, जिसका आवेदक खातेदार, काबिज, काश्तकार है, जिसका अंकन जमाबंदी खाता संख्या– 4, पुराना 4, जमाबंदीसम्वत 2072–2075 मे दर्ज है। आवेदन के चरण सं01 मे वर्णित आराजीयात आवेदक की पुश्तैनी भूमि है, जो आवेदक की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे, काश्त की आराजीयात है, जिस पर आवेदक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवेदक साक्षर व्यक्ति है, जिसका सही एंव वास्तविक नाम राजाराम जाट है। आवेदक के सभी पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात क्रमशः आधारकार्ड, पेनकार्ड, पहचानपत्र, परिवार राशन कार्ड, इत्यादी मे आवेदक का नाम राजाराम जाट ही अंकित है और उसको राजाराम जाट के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। किन्तु राजस्व कर्मचारी व अधिकारीयो से आवेदन के चरण सं01 मे वर्णित भूमि का नामान्तकरण आवेदक के पक्ष मे तस्दीक करते समय

21.4.25

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे आवेदक के सही एंव वास्तविक नाम राजाराम जाट के स्थान पर सहवन से उसके बोलते नाम" राजू लाल पुत्र रतन लाल" के नाम का अंकन कर दिया गया। उक्त अंकन त्रुटिपूर्ण है और दुरुस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे आवेदक का नाम "राजाराम " के स्थान पर पर "राजू लाल अंकित होने से आवेदक को काफी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है, आवेदक अपने समस्त विधिक अधिकारो से वंचित हो रहा है एंव उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे होने वाले समस्त सरकारी एंव गैर सरकारी कार्य आदि करने में काफी असुविधा एंव परेशानी हो रही है। आवेदक का सही एंव वास्तविक नाम "राजाराम" है, जो उसके सभी पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात से पूर्णतया साबित है, इस कारण न्यायहित मे आवेदन के चरण सं01 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे आवेदक के अंकित त्रुटिपूर्ण नाम "राजू लाल को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम " राजाराम" का अंकन किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। इस हेतु ही आवेदक को उक्त आवेदन पेश करने का कारण प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। आवेदन निर्धारित न्यायशुल्क पर नियमानुसार प्रस्तुत है। आवेदक की और से यह संशोधन हेतु प्रथम आवेदन है। अतः आवेदक की और से आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार कर उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर–261/9 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 262/9 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 265/161 रकबा 0.59 हेक्टेयर, खसरा नम्बर– 266/168 रकबा 0.87 हेक्टेयर, खसरा नम्बर–268/172 रकबा 1.08 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.92 हेक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार क्षेत्र इन्दोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुवाकलां, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में अंकित आवेदक के त्रुटिपूर्ण नाम" राजू लाल" को न्यायहित मे दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर आवेदक के सही एंव वास्तविक नाम " राजाराम" का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किये जाने के आदेश प्रदान करे। खर्चा आवेदन एंव अन्य जो सहायता आवेदक के पक्ष मे हो वह आवेदक को प्रदान की जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

21.4.25

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना।पत्र के चरण नं. 1 में निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा प0 है0 इन्दोदा के ख. नं. 261/9 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 262/9 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 265/161 रकबा 0.59 है0, ख. नं. 266/168 रकबा 0.87 है0, ख. नं. 268/172 रकबा 1.08 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.92 हे0 के कजोड़ पुत्र रतनलाल जाट हि. 1/2 सा. सांखना व राजूलाल पुत्र रतनलाल जाट हि. 1/2 बतौर खातेदार राजस्व में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 2 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 3 अस्वीकार है। राजस्व कर्मियो द्वारा विधिक जांच के पश्चात विधिक वारिसो के नाम ही सही रूप से नामान्तकरण दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 4 न्यायिक है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 5 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 7 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

विशेष आपतियां:– रा. ले. रे. एक्ट 1956 की की धारा 136 में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया है। आर.एल.आर.ए.1956 की धारा 136 में भू–प्रबन्ध से पूर्व अधिकार अभिलेख में की गई लिपीकीय भूल को दुरूस्त करने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है जो यह साबित करता हो कि उक्त त्रुटि भू–प्रबन्ध से पूर्व की है ओर लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है। आवेदन के चरण सं. 3 में प्रार्थी ने स्वयं अभिलिखित किया है कि उक्त त्रुटि नामान्तकरण तस्दीकर करने में हुई है। जो आर.एल.आर.ए 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार में नही आती है। अतः प्रार्थना पत्र रा. ले. रे. एक्ट 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार में नहीं आने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट प्रावधानो में नहीं आने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 4 में प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र रतनलाल दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी

21.4.25

द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 03.03.21 में राजू पुत्र रतनलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र रतनलाल शुद्ध किये जाने की स्वीकृति दी गई है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम सांख्याना तहसील टोंक के ख. नं. 638 व 639 में खातेदार के रूप में राजाराम पुत्र रतनलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पत्रावली पर संलग्न आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम राजाराम जाट पुत्र रतनलाल जाट का अंकन है।

जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 4 में प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र रतनलाल दर्ज है जिसको प्रार्थी राजूलाल पुत्र रतनलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र रतनलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाना चाहता है।

पेरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब व बहस अनुसार आवेदन के चरण सं. 3 में प्रार्थी ने स्वयं अभिलिखित किया है कि उक्त त्रुटि नामान्तकरण तस्दीक करने में हुई है, जो आर.एल.आर.ए 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार में नही आती है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर . एक्ट के तहत पेश किया जिसमें केवल सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली